



Neutral Citation No. - 2026:AHC:47429-DB

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 744/2025

मुस्कान

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आदिल जमाल, कुमारी आजमी बेगम

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : आज़ाद राय, राजीव सिंह (एससी)

मुख्य न्यायमूर्ति का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र

1. यह याचिका याचिकाकर्ता द्वारा कथित रूप से लोकहित में ग्राम सभा भटारगंज, वार्ड संख्या 1, तहसील मांडा, जिला प्रयागराज के खाता संख्या 1922/1/2 से अतिक्रमणकारियों के अवैध निर्माण अथवा कब्जे को हटाने हेतु दायर की गई है।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा अनुदेश प्रस्तुत किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ यह इंगित किया गया है कि 15 व्यक्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर रहे थे और इसलिए उनके विरुद्ध सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई है, जो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है।
3. उपरोक्त तथ्यात्मक स्थिति के दृष्टिगत, जिसमें प्रत्यर्थियों ने सार्वजनिक परिसर अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की है, याचिका में कोई अग्रतर आदेश पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करें कि कार्यवाही शीघ्रता से निर्णीत की जाए।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपरोक्त संप्रेक्षणों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

(न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र) (मुख्य न्यायमूर्ति अरुण भंसाली)

9 मार्च, 2026

पी श्री/एके शुक्ला

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।